न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गीतेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

1. कसना पुत्र वक्ताजी गाडरी, निवासी बोरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नंगा पुत्र वक्ताजी गाडरी, निवासी बोरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नाथू पुत्र वक्ताजी गाडरी, निवासी बोरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोड़ा पुत्र वक्ताजी गाडरी, निवासी बोरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. लाला पुत्र वक्ताजी गाडरी, निवासी बोरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रूपलाल पुत्र धूलाजी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
2. हीरालाल पुत्र धूलाजी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
3. श्रीमती गंगा पुत्री धूलाजी गाडरी,नि. बोरी,तह. गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
4. श्रीमती हीरी पुत्री धूलाजी गाडरी,नि. बोरी,तह. गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती सूरज पुत्री धूलाजी गाडरी,नि. बोरी,तह. गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
6. श्रीमती नवली पुत्री धूलाजी गाडरी,नि. बोरी,तह. गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
7. परता पुत्र गौतमा जी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
8. भेरा पुत्र गौतमा जी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
9. मावा पुत्र गौतमा जी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
10. रामा पुत्र भीमा जी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
11. रोड़ा पुत्र भीमा जी गाडरी,निवासी बोरी,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी,गिर्वा दिनांक 27[illegible]–2[illegible]1 प्रकरण संख्या117 / 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

———

उपस्थित :– 1–श्री भीम[illegible]

———::———

निर्णयदिनांक20–06–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मौजा बोरी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 612, 627, 632, 633, 637 कुल किता 5 रकबा 0.5600 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, परन्तु उक्त आराजियात में 1/2 हिस्से पर वादीगण तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण का हक अधिकार व कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 613, 625, 626, 628, 629, 930, 631, 638 कुल किता 8 रकबा 1.7500 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, परन्तु उक्त आराजियात में 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण का हक अधिकार व कब्जा काश्त चला आ रहा है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष देवा जी थे, जिनके 2 पुत्र वक्ता व गौतमा हुए। वक्ता के वारिस वादीगण तथा गौतमा के वारिस प्रतिवादीगण हैं। द्वितीय पैमाईश के पूर्व अर्थात संवत् 2038–40 से पूर्व उक्त आराजियात जिसके साबिक आराजी नंबर 94, 95, 96, 97, 98, 99–105, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2, 124/2, 126 से 130, 156 से 158, 160 से 165 कुल किता 30 रकबा 42 बीघा 1 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मौरूसनाथु, काना, पिता केरिंग 1/3, भेरा पिता हीरा, रूपा, मोगा पिता पेमा 1/3, गौतम, वक्ता पिता देवा गाडरी 1/3 हिस्सा संवत् 2032–35 से दर्ज चला आ रहा है। यानि रोड़ा के तीन पुत्र हीरा, देवा व केरिंग के नाम 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड थी। संवत् 2038–40 में पैमाईश के दौरान उक्त मौरूसी भूमि का हिस्सा अलग–अलग कर दिया गया, यानि देवा पिता रोड़ा का 1/3 हिस्सा उसके वारिस गौतमा व वक्ता के नाम संयुक्त रूप से अलग–अलग कर दिया गया तथा मौके पर गौतमा एवं वक्ता के वारिसान का अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर संयुक्त रूप से कब्जा है, किन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रेकार्ड में परिशिष्ट ''क'' की भूमि अकेले वादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी तथा परिशिष्ट ''ख'' की भूमि अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' वर्णित भूमियों में वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार कब्जा है। अतः वाद वर्णित परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की आराजियात का वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7, 8, 9, 10 11 द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सहमति के जवाबदावे के आधार पर दिनांक27–11–2021 को वादीगण का वाद स्वीकारकिया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा कराने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–02–2022 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार अपीलान्टगण को दिनांक 15–01–2022 को हुई। जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुएविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया कि विवा[illegible] मौरूसी होकर बाप–दादाओं के समय से चही आ रही है ऐसी स्थिति में अधि[illegible] न्यायालय का पंजीयन शुल्क वसूलने का निर्णय उचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में आंशिक संशोधन करते हुए पंजीयन शुल्क हटाने का आदेश पारित कर संशोधित डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

हमनेविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवंअधिनस्थन्यायालयकीपत्रावलीपरउपलब्धरेकार्डकाध्यानपूर्वकअवलोकनकिया।

अधिनस्थन्यायालयकीपत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलान्ट द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजियात में वादीगण/अपीलान्ट का 1/2 व प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट को 1/2 हक हिस्सा घोषित कराने बाबत् प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षकार उक्त घोषणा बाबत् सहमत भी हैं। साथ ही अधिनस्थन्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात मौरूस जायदाद है। अतः वारिसानों का उक्त आराजियात पर जन्म से ही अधिकार होता है। सेटलमेन्ट के दौरान हक हिस्से में परिवर्तन का जिक्र किया गया है। अधिनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलान्ट का वाद स्वीकार कर वादीगण/अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट को वादग्रस्त आराजियात के 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, परन्तु उभयपक्षकारों को पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु भी आदेशित किया गया है। पंजीयन शुल्क किस कारण से जमा करवाना है, यह स्पष्ट नहीं है। वाद भूमि क्रय करने के बाद खातेदारी घोषणा का नहीं है। वादग्रस्त आराजियात मौरूसी मिल्कियत होने से पंजीयन शुल्क की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी प्रकार के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उभयपक्षकारों को नियमानुसार पंजीयक शुल्क जमा कराने का आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थन्यायालय द्वारा दिनांक 27–11–2021 को पारित निर्णय व डिक्री में उभयपक्षकारों को नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा कराने का पारित आदेश निरस्त किया जाता है। अधिनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री शेष बदस्तूर जारी रहेगी।तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 20–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्याया[illegible] पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**गीतेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** ....

कसना पिता वक्ताजी गाडरी, निवासी बोरी, तह. गिर्वा, जि. उदयपुर व अन्य बनाम **रूपलाल पिता धूला जी गाडरी, नि. बोरी, तह. गिर्वा, जि. उदयपुर व अन्य**

अपील नं...........**10/2022**..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..........
...........**गिर्वा**..........मुकाम...............मुवर्खे............**27**.............माह..................**11**................**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख............**20**..........माह............**06**............सन् **2023** रूबरू.................
व हाजरी...............**श्री भीमराज पटेल**........मिनजानिब अपीलान्ट व ....

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.........**अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थन्यायालय द्वारा दिनांक 27–11–2021 को पारित निर्णय व डिक्री में उभयपक्षकारों को नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा कराने का पारित आदेश निरस्त किया जाता है। अधिनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री शेष बदस्तूर जारी रहेगी।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये ....**X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.........................**X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**20**......माह.......**06**..........**2023**
को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. [illegible]जी .... 3. [illegible]राय [illegible]मनामा ..... 4. मह[illegible] वकील.......... मीजान....		

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।